प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' इक्यावन '

[18/2/2019]

विधानसभा प्रश्न क्र.491, प्रश्न क्र. 491] राजेन्द्र पाण्डेय (राजू भैया) परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन प्रश्न दिनांक - 18/2/19

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31/12/2018

क्रमांक: एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 की कंडिका '13 - रियायतें' की उपकंडिका क्रमांक 13.8 के पश्चात निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:-

"13.9 **इस नीति अंतर्गत प्रावधानित रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा।"**

2. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा लागू मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा। उक्त प्रावधान इस आदेश के जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

31/12/18

(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग